



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042022-234819
CG-DL-E-04042022-234819

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532]
No. 1532]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/चैत्र 14, 1944
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1595(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, तमिल नाडु राज्य में मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की एन्नोर-तिरुवल्लूर-बंगलुरु-पुदुच्चेरी-नागापट्टिनम-मदुरई-तूतीकोरीन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री एस. कमलकन्नन, सहायक आयुक्त, तमिलनाडु सरकार को श्री के. रवि, उप समाहर्ता, तमिल नाडु सरकार के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/77/2018-जीपी-II (ई-41940)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1595(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri S. Kamalakannan, Assistant Commissioner, Government of Tamil Nadu vice Shri K. Ravi, Deputy Collector, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Ennore – Thiruvallur – Bengaluru – Puducherry – Nagapattinam – Madurai – Tuticorin Natural Gas Pipeline Project of M/s. Indian Oil Corporation Limited in the State of Tamil Nadu.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/77/2018-GP-II (E-41940)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.